किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सरक्षण) अधिनियम 2015

- भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक की किशोर/ किशोरियों द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जो समाज या कानून की नजर में अपराध है, ऐसे अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार के अपराध में लिप्त बच्चों को छुपाएं नही बल्कि उनके सुधार के लिए सहयोग करें।
- **निम्नलिखित कृत्यों को बाल अपराध की श्रेणी में रखा गया है–**

- चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट, तस्करी, यौन अपराध लैगिंक उत्पीड़न, बलात्कार, हत्या, जुआ खेलना, शराब पीना, अपराधी गुट या अपराधियों के समूह में शामिल होना, दुकान से कोई सामान उठाना या अन्य कोई ऐसे कामों में संलग्न होना जो कानून के हिसाब से गलत है आदि को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।
- माता–पिता की अनुमति के बिना घर से भाग जाना।
- अपने पारिवारिक सदस्यों एवं किसी के प्रति भद्दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करना।
- स्कूल से भाग जाना
- ऐसी आदतों को अपनाना जो न तो स्वयं बच्चों के लिए हितकर है और न ही परिवार के लिए अर्थात परिवार के नियंन्त्रण में न रहना।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सरक्षण) अधिनियम 2015

पाक्सो (POCSO) कानून पाक्सों का पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल ऑफेन्सेस एक्ट 2012। इस कानून के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों व शोषण के मामलों में कार्यवाही की जाती है। इस कानून मे यौन अपराधों के लिए अलग अलग सजा तय की गयी है जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया हैं। यह कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पंजीकृत मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है। इस कानून की प्रमुख विशेषता यह है कि आरोपी को गैर जमानती वारन्ट के साथ गिरफ्तार किया जाता है तथा उसे स्वयं को निर्दोष साबित करने का प्रमाण स्वयं प्रस्तुत करना होता है।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सरक्षण) अधिनियम 2015

इस कानून के अंतर्गत यदि किसी बालक या बालिका के साथ किय गय निम्नवत कृत्य गंभीर अपराध है–

- लैंगिक हमला या यौन उत्पीड़न।
- घूरना, पीछा करना।
- अश्लील शब्द बोलना।
- प्रलोभन या लालच देकर फुसलाना।
- अशोभनीय व अश्लीलतापूर्ण प्रर्दशन ।
- अपराध करनें के लिए दूसरों को उकसाना।
- बदनाम करनें के लिए झूठी सूचना देना।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सरक्षण) अधिनियम 2015

उपरोक्त में से किसी भी प्रकार का कृत्य अगर हमारे साथ या आस पास हो रहा हो तो चुप मत रहो आवाज उठाओं। यह भी जानना जरूरी है कि यदि किसी बच्चे के साथ उपर्युक्त में से किसी प्रकार की घटना घटती है तो उस बच्चे की पूरी सहायता की जाती है। बच्चे के बारें में मीडिया द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार नही किया जाता है।

यदि हम खामाश रहेंगें तो अपराधियों के हौसले बढ़ते जायेगे। साथ ही यह हमेशा याद रखना कि जिसके साथ अपराध होता है वह दोषी नही होता है बल्कि जो अपराध करता है वह दोषी होता है। शर्मिंदा उन्हे होना चाहिये जो गलत काम करते है न कि उन्हें जिसके साथ गलत काम होता है।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित जरूरी प्रावधान–

- यदि कोई व्यक्ति इन अपराधों को रिपोर्ट/रिकार्ड करने में विफल होता है तो उसे 6 माह की सजा या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा। (धारा 21)
- एफ0आई0आर0 जितनी जल्दी हो दर्ज की जायेगी। [निमय 4 (2)]
- यदि शिकायतकर्ता बच्चा है तो अभिलिखित रिपोर्ट उसी भाषा में हो जो बच्चे द्वारा अभिकथित की गयी हो तथा बच्चा उसे समझ सके, सूचना देने वाले बच्चे को रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जाय।
- बयान लेते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नही होगें।[धारा 24 (2)]
- विवेचक यह सुनिश्चित करेंगें कि बच्चा अभियुक्त के सम्पर्क में न जाए। [धारा 24 (3)]
- बच्चे को रात्रि में पुलिस स्टेशन में निरूद्ध (रखा) नही किया जायेगा। [धारा 24 (4)]
- बच्चे की पहचान पब्लिक व मीडिया से सुरक्षित रखेगें, न्यायालय की आज्ञा के बिना कुछ भी जानकारी नही दी जायेगी। [धारा 24 (5)]
- मीडिया का दायित्व होगा कि वह बालक के पहचान जिसके अन्तर्गत नाम, पता, फोटो, चित्र, परिवार का विवरण, विद्यालय, पड़ोस, ऐसी विशिष्टियॉ जिससे बच्चे की पहचान या प्रकटन हो, प्रकट नही करेंगी।
- त्वरित निर्णय के उद्देश्य से इस नियम के मामलों का निवारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाता है।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें